ANNEXURE – II

श्री रोहित जम्बाल स्पुत्र श्री ओम प्रकाश जम्बाल, गांव एवं डाकघर बंगियार, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 और श्री राहुल पठानिया पुत्र श्री रणजीत सिंह, गांव थपकौर, डाकघर भदरोया, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा खसरा संख्याः 1558/1 कुल क्षेत्रफल 15–03–30 हैक्टेयर (सरकारी भूमि/नदी तल), मोहाल एवं मौजा धन्यारा एवं आलमपुर, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रेत, बजरी व पत्थर के खनन व संग्रह (लघू खनिजों के खनन)/1,81,350 एमटीपीए के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियां बारे पर्यावरण जनसुनवाई के आयोजन संबधी कार्यवाही का विवरण।

श्री रोहित जम्बाल स्पुत्र श्री ओम प्रकाश जम्बाल, गांव एवं डाकघर बंगियार, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 और श्री राहुल पठानिया पुत्र श्री रणजीत सिंह, गांव थपकौर, डाकघर भदरोया, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा खसरा संख्याः 1558/1 15–03–30 हैक्टेयर (सरकारी भूमि/नदी तल), मोहाल एवं मौजा धन्यारा एवं आलमपुर, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रेत, बजरी व पत्थर के खनन व संग्रह (लघू खनिजों के खनन)/1,81,350 एमटीपीए के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियां बारे पर्यावरण जनसुनवाई का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 25.07.2025 को खनन स्थल का स्थान संख्याः 1558/1 (सरकारी भूमि/नदी तल), मोहाल एवं मौजा धन्यारा एवं आलमपुर, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में करवाया गया। यह पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0–एस0ओ0 1533 दिनांक 14/09/2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रकिया के अनुसार श्रीमति शिल्पी बेक्टा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कांगडा स्थित धर्मशाला (हि.प्र.) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची प्रपत्र–। पर उपलब्ध है। इस जन–सुनवाई के प्रारम्भ में ई0 वरुण गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण, पंचायत प्रधान एवं पंचायत प्रतिनिधियों व उपस्थित स्थानीय निवासियों को जन–सुनवाई में पहुंचने पर धन्यवाद व्यक्त किया।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना के प्रारुप व विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन व निर्धारण बारे जन–समूह को अवगत करवाने हेतू परियोजना के परामर्शदाता को कहा गया। परियोजना के परामर्शदाता द्वारा परियोजना के प्रारुप व विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन व निर्धारण बारे जन–समूह को अवगत करवाया गया। इसके अतिरिक्त सभी उपस्थित लोगों से इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायतों को निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त करने हेतू आग्रह किया गया।

इस जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई । इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र. सं.	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	श्री करण सिंह स्पुत्र स्व0 श्री आदित्य दास, निवासी लाहड डूहक, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने बताया कि खनन के कारण नुकसान हुआ है अगस्त 2023 में फलड आने के कारण मेरी सारी भूमि वह चुकी है और राजस्व विभाग द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही कोई कैट वाल लगाए गये हैं। उन्होंने कहा कि खनन के कारण नुकसान होगा।	अध्यक्षा महोदया द्वारा श्री करण सिंह से उनकी भूमि की स्थिति बारे पूछा।
		उन्होंने बताया कि उनकी भूमि न्यूगल खडड के किनारे है और 13 अगस्त 2023 को आए फलड से खनन के कारण उनके द्वारा लगाए गई तारबंदी व पोल वह गये थे और वर्तमान में वह जगह वहुत गहरी हो चुकी है। अतः खनन होने के बाद ओर अधिक गहरी हो जाएगी।	अध्यक्षा महोदया द्वारा श्री करण सिंह से वहां पर किसी खनन पटटे होने बारे पूछा।
		उन्होंने बताया कि वहां पर पहले हुए खनन के कारण वह गहरी हो चुकी है।	अध्यक्षा महोदया द्वारा श्री करण सिंह से पूछा कि यदि वहां सरकारी खनन पटटा नहीं है तो क्या वहां पर खनन स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है।

		उन्होंने बताया कि खनन स्थानीय लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि यहां खनन होने के कारण सारा मैटिरियल नीचे आ जाएगा, यहां पर पहले से ही 10 से 15 फीट तक गहरे खडडे है और उपर से आने वाले मैटिरियल से ही यह खडडे भरेगें। अतः खनन होने कारण हमारी भूमि पानी के साथ बह रही है।	अध्यक्षा महोदया द्वारा बताया गया कि श्री करण सिंह स्पुत्र स्व0 श्री आदित्य दास, निवासी लाहड डूहक, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा दर्ज करवाया गया कि उनकी भूमि अगस्त 2023 से आए फलड के कारण पहले से ही बह रही है, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ था इसके साथ उनके द्वारा बताया गया कि यहां खनन होने पर आने वाले समय में यह नुकसान ओर अधिक होगा। परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि खनन की गहराई 02 मीटर तक है तो खनन के कारण नदी का स्तर नीचे होगा तो फलडिगं होने की संभावना कम है और इसमें पटटा धारक को पर्यावरणीय कमेटी द्वारा 05 रिटेनिंग वाल बनाने को भी कहा जाएगा। इस खनन पटटे के दायरे में कोई भी निजी भूमि नहीं है और यह जगह उंची होने के कारण यहां पानी भरने की संभाबना भी नहीं है।
2.	श्रीमति उर्मिला राणा, निवासी धनियारा, जिला कांगडा हि0प्र0।	उन्होंने बताया कि यहां पर नदी के साथ और इस खनन क्षेत्र के साथ उनकी पैतृक सम्पति है और 10 पंचायतों के लिए पानी की योजना है जो कि इस खनन क्षेत्र से है। हमारे विधायक द्वारा यहां पर पुल का निर्माण काफी मुश्किल से करवाया गया है। यहां खनन होने के कारण हमारी भविष्य पीढ़ी को काफी नुकसान होगा। अतः यहां खनन नहीं होना चाहिए। खनन होने पर यहां पर हमारे विरोध का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया जेसीवी से खनन करने के कारण यहां पर बडे–2 खडडे पड़ चुके हैं जिससे जान–माल को नुकसान हो सकता है। यहां पर लगभग 10 जेसीबी लगी रहती है इसके लिए आप यहां के लोगों व प्रधान से भी पूछ सकते हैं।	अध्यक्षा महोदया द्वारा बताया गया कि इस जन–सुनवाई के प्रारम्भ में यह अवगत करवा दिया गया था कि इस जन–सुनवाई में आपके द्वारा उठाए गये मुददों को सरकार को भेजा जाएगा और इसमें यहां पर उपस्थित कोई भी अधिकारी इसे मंजूरी प्रदान करने हेतू अधिकृत नहीं हैं अतः आपके उठाए गये मुददें जिसमें: 1. आपकी निजी भूमि इस खनन क्षेत्र के साथ है। 2. इस खनन क्षेत्र में से एक पानी की योजना वर्तमान में है और एक भविष्य के लिए प्रस्तावित है। 3. इस खनन क्षेत्र के साथ एक पुल का निर्माण भी हो रहा है। इन सभी को खनन होने के कारण नुकसान हो सकता है। अतः आपके मुददों को नोट कर लिया गया है और इसे सरकार को भेज दिया जाएगा। अध्यक्षा महोदया द्वारा खनन विभाग से जेसीबी के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतू निर्देश दिए। खनन विभाग के उपस्थित अधिकारी द्वारा बताया गया कि जेसीबी का उपयोग मंजूरी के बाद चैक– डैम बनबाने हेतू किया गया था।
		वहां पर उपस्थित लोंगों द्वारा खनन विभाग के अधिकारी द्वारा दिए गये जबाब पर असहमति जताई। इसके लिए अध्यक्षा महोदया द्वारा सभी से एक–2 कर अपने विचार रखने का अनुरोध किया।	
3.	श्री रमेश सिंह, रिटायर्ड सुबेदार, निवासी गांव डूहक, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने बताया कि चैक डैम के लिए लगाई गई जेसीबी हेतू दी गई जानकारी बिल्कुल असत्य है। यहां पर कशर मालिकों द्वारा लगातार खुदाई की गई है और खच्चर द्वारा कार्य करने पर चालान किया जाता है परन्तु जेसीबी का चालान नहीं किया जाता है। यहां पर जेसीबी द्वारा लगातार खुदाई कर लगभग 15 फीट तक खडडे कर दिए गये हैं। अतः श्रीमति उर्मिला राणा द्वारा उठाए गये मुददे बिल्कुल सही हैं और भविष्य में यहां की	अध्यक्षा महोदया द्वारा मौके पर खनन विभाग को आदेश पारित किए गये कि खनन अधिकारी कांगड़ा व्यक्तिगत रुप में उपस्थित होकर यहां पर हुए खनन बारे जानकारी उपलब्ध करवाएगें कि यहां पर कितना खनन हुआ है और यह खनन नियमों के अनूरुप है या नहीं। यदि नियमों से अनुसार नहीं हुआ है तो इसमें कौन जिम्मेदार है और उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई जाएगी। इसके

		स्थिति मंडी में हुई आपदा की तरह होगी। उन्होंने आग्रह किया कि इस जन–सुनवाई की कार्यवाही की प्रति भी उपलब्ध करवाई जाए।	अतिरिक्त इस क्षेत्र में क्रशरों की जानकारी भी खनन अधिकारी उपलब्ध करवाएगें। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस क्षेत्र में अवैध खनन के लिए खनन विभाग को कार्यवाही करने व चालान करने हेतू निर्देश दिए जिसकी समीक्षा 10 दिनों के बाद खनन विभाग से ली जाएगी। इसके अतिरिक्त अध्यक्षा महोदया द्वारा इस जन–सुनवाई की कार्यवाही की लिखित प्रति पंचायत को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। परियोजना परामर्शदाता द्वारा अवगत करवाया गया कि पहले यह परियोजना 22 हैक्टेयर में प्रस्तावित थी परन्तु यहां पुल के कारण इसे कम करके इसे 15 हैक्टेयर कर दिया गया है और 300 मीटश्र का क्षेत्र छोड़ दिया गया है। अतः पुल को इस खनन परियोजना से कोई नुकसान नहीं होगा और पानी की योजना से 200 मीटर छोड़कर ही नियमों के अनुसार पटटा दिया गया है।
4	कैप्टन कल्याण चन्द, गांव धनियारा, डाकघर डूहक, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया व उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं स्थानीय निवासियों को धन्यवाद किया व कहा कि मेरी इस नदी के साथ 03 कनाल भूमि है सरकार को पहले उसकी सुरक्षा हेतू प्रावधान करने चाहिए क्योंकि वर्तमान में यहां पर बहुत अधिक खनन हो रहा है जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। और भविष्य में यहां खनन नहीं होना चाहिए।	अध्यक्षा महोदया द्वारा श्री कल्याण चंद के भूमि कटाव के सम्बन्ध में उठाए गये मुददों हेतू मौके पर उपस्थित उप–प्रधान महोदय को भू–संरक्षण विभाग से प्रस्ताव बनवाकर 07 अगस्त से पहले उपायुक्त कार्यालय भेजने हेतू आग्रह किया ताकि उस पर कार्यवाही की जा सके। और प्रस्ताव की एक प्रति श्री कल्याण चंद को भी उपलब्ध करवाने हेतू आग्रह किया गया। इसके अतिरिक्त उनके यहां पर खनन की अनुमति न देने के मुददे को भी आगे सरकार को भेज दिया जाएगा।
5	श्री ओम प्रकाश चंदेल, ए0सी0एफ0, बन मण्डल पालमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने परियोजना मालिक के परामर्शदाता से पूछा कि जो भी कोरडिनेट दिए गये हैं वह नदी तल पर न होकर आगे की तरफ है तो क्या यह खनन कार्य नदी तल पर होगा या उससे उपर भी होगा। यदि कोरडिनेट किनारे की तरफ हैं वह वन विभाग की भूमि न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित खसरा संख्या के वास्तिविक कोरडिनेट को सभी के साथ साझां करने का अनुरोध किया ताकि खनन क्षेत्र की स्थिति की जानकारी मिल सके।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि दर्शाए गये कोरडिनेट पूरे खसरा न0 के हैं और यह कोरडिनेट नदी तल लेवल के आगे भी हैं परन्तु इस खसरे के हैं। खनन का कार्य नदी तल में किया जाएगा इसमें नदी तल के चौड़ाई के दसबें भाग को इससे बाहर रखा जाएगा। अतः कोरडिनेट बन क्षेत्र के भी हो सकते हैं परन्तु वहां पर खनन कार्य नहीं होगा और केवल नदी तल में ही खनन कार्य किया जाएगा। परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि खनन क्षेत्र के वास्तिविक कोरडिनेट की जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
6	श्री संजय कुमार, गांव एवं डाकघर डूहक, जिला कांगडा हि0प्र0।	उन्होंने बताया कि यहां पर लगभग 35 करोड़ रुपये का पुल बन रहा है एवं 14 करोड़ रु0 की पानी की योजना है और इसके बीच में खसरा सं0 1558/1 खनन पटटे का आबंटन किया जा रहा है। इसके साथ शमशानघाट भी है। यदि यहां पर खनन होगा तो भूमि का कटाव होगा व पुल, पानी की योजना व शमशानघाट को भी नुकसान होगा। यहां पर खनन के कारण 22 बर्षिय युवक की जान भी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मैनुअल खनन सही है परन्तु यहां पर जेसीबी से 25 फीट तक खडडे कर दिए गये हैं अतः इसकी जिम्मेदारी किसकी है। यहां पर 200 मीटर की दूरी पर 02 क्रशर हैं जो खनन करने पर नदी के	अध्यक्षा महोदया द्वारा श्री संजय कुमार के सम्बन्ध में उठाए गये मुददों बारे पुनः अवगत करवाया कि इनके द्वारा दर्ज करवाया गया है कि 1. प्रस्तावित खनन पटटे से पुल एवं जल शक्ति विभाग की योजना (जोकि लगभग 10 पंचायतों को पानी की पूर्ति करती है) को नुकसान हो सकता है। अतः इनके अनुसार यह खनन पटटा को स्वीकृत नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पर पहले से ही 02 स्टोन क्रशर 200 मीटर के दायरे में हैं।

		बहाव को भी बदल देते हैं।	
7	श्रीमति रंजना देवी, पंचायत समिति सदस्या, गांव धनियारा, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने बताया कि यहां पर सभी उपस्थित लोगों का यही मत है यहां पर होने वाला खनन हमारे गांव के लिए नुकसानदायक है और हम नहीं चाहत है कि वर्तमान में मंडी जिला में हुए नुकसान की तरह यहां भी नुकसान हो। अतः हम यहां पर खनन नहीं चाहते हैं	अध्यक्षा महोदया द्वारा श्रीमति रंजना देवी, पंचायत समिति सदस्या के मुददे बारे अवगत करवाया कि उनके द्वारा दर्ज करवाया गया है कि यहां पर खनन नहीं होना चाहिए और सरकार को भी सूचित किया जाए।
8	श्री मनिन्द्र कपूर, कनिष्ठ अभियन्ता, जल शक्ति विभाग थुरल, जिला कांगडा हि0प्र0।	उन्होंने बताया कि यदि 02 मीटर खनन करते है तो बरसात में नदी अपनी दिशा बदल देगी और पानी की स्थिति बदलने पर कोई नई योजना लानी पड़ेगी। यहां पर 14 करोड़ रुपये से पानी की योजना लगभग 17000 लोगों को पानी की पूर्ति करेगी। और यदि पानी की दिशा बदलने पर योजना के लिए पानी कहां से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब भी बर्षा होगी तो पानी की दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके अतिरिक्त यहां से 01 किमी की दूरी पर जल शक्ति विभाग की डूहक–धनियारा के नाम से एक ओर पानी की योजना है। तो उसमें खनन के कारण काफी समस्या है जिसके लिए हमने कई बार खनन विभाग को सूचित किया है। उन्होंने कहा इस खनन पटटे के बारे में पहले बताया जाना चाहिए लेकिन आपके द्वारा आज हमें सीधे तौर पर बुलाया गया है और न ही खनन पटटे की निशानदेही की गई है कि यह प्रस्तावित खनन पटटे का क्षेत्र है।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि वैज्ञानिक तरीके से खनन करने पर बाढ़ कम आने की सम्भाबना होती है। खनन करने पर पानी का स्तर नीचे होगा और पानी एक ही दिशा में बहेगा। परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि खनन पटटे के लिए मंजूरी सरकार द्वारा दी गई है जिसमें सभी सम्बन्धित विभागों से मंजूरी ली गई है जिसमें जल शक्ति विभाग भी है। परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि खनन पटटे पर बुर्जिया लगाई गई हैं और बर्ष 2020 में संयुक्त कमेटी के निरीक्षण के दौरान इसकी निशानदेही हो चुकी है और उसके बाद ही यह खनन पटटा लीज पर दिया जा रहा है। अध्यक्षा महोदया द्वारा बताया गया कि श्री मनिन्द्र कपूर, कनिष्ठ अभियन्ता, जल शक्ति विभाग थुरल द्वारा दो मुख्य मुददे हैं: 1. खनन के कारण लगभग 14 करोड़ रुपये से पानी की योजना जो कि 17000 लोगों को पानी की पूर्ति करती है बर्बाद हो जाएगी। 2. इसके अतिरिक्त डूहक–धनियारा उठाउ पेयजल योजना के पास खनन हो रहा है जिसके लिए खनन विभाग व सम्बन्धित विभागों से कई बार लिखित रुप में सम्पर्क किया गया परन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं हुइ है अध्यक्षा महोदया द्वारा पत्राचार की प्रति उपलब्ध करवाने हेतू आग्रह किया ताकि उसमें आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।
9	श्री सुमित राणा, निवासी धनियारा, जिला कांगडा हि0प्र0।	उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में इतना खनन क्यों हो रहा है यहां पर पहले से ही 02 कशर हैं और खनन के कारण गांव को नुकसान हो सकता है। यहां पर पहले ही पानी की समस्या है इसके अतिरिक्त कशरों द्वारा सिल्ट वाले पानी को भी नदी में छोड़ दिया जाता है जिससे यहां के पानी उपयोग करने लायक नहीं है। जिसका पहले दैनिक कार्यों में उपयोग किया जाता था। अतः इस क्षेत्र में ही इतना खनन क्यों किया जा रहा है थुरल या बालकरुपी में खनन किया जा सकता है। अतः यहां पर खनन पूरी तरह से बंद होना चाहिए ताकि कोई भी समस्या उत्पन्न न हो।	अध्यक्षा महोदया द्वारा बताया गया कि श्री सुमित राणा द्वारा दर्ज करवाए गये मुख्य मुददे हैं: 1. यह क्षेत्र ही खनन के लिए क्यों प्रस्तावित किया जा रहा है क्योंकि यहां पर पहले से ही 02 कशर स्थापित हैं। 2. यहां पर पहले से स्थापितों कशरों द्वारा सिल्ट का पानी नदी में छोड़ दिया जाता है जिससे नदी के पानी की गुणवता गिरती है। 3. इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। 4. कशर थुरल या बालकरुपी में क्यों नहीं लग रहे है केवल यहीं पर क्यों लगाए जा रहे हैं।
10	श्री सुनील राणा,	उन्होंने कहा कि यहां पर बड़ी परेशानियों के बाद	

	निवासी डूहक धनियारा, जिला कांगडा हि0प्र0।	पुल का निर्माण हो रहा है और नीचे पानी की योजना हैं। उन्होंने कनिष्ठ अभियन्ता जल शक्ति विभाग थुरल का पानी की योजनाओं में आने वाली परेशानियों के बारे बताने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और कहा यहां के लोगों को पानी की काफी समस्या है। यहां के पानी में सिल्ट छोड़ने पर पानी की योजनाओं में उपयोग होने वाली मशीनों खराब होने के कारण वह बंद हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर एक नोजबान युवक की खनन के द्वारा किए गये खडडे में मृत्यु भी हो चुकी है। अतः हम इस खनन परियोजना का विरोध करते हैं।	----------
11	श्री रोजश चोपड़ा, सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग थुरल	उन्होंने बताया प्रस्तावित खनन पटटे के खसरा न0 की पुष्टि उनके सामने हुई है और यहां पर 300 मीटर क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। अतः पुल से 200 मीटर उपर व 300 मीटर नीचे खनन नहीं होना चाहिए।	अध्यक्षा महोदया द्वारा बताया गया कि सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग थुरल द्वारा उठाए गये मुददे हैं: पुल से 200 मीटर उपर व 300 मीटर नीचे खनन नहीं होना चाहिए।
12	श्री निर्दोष जम्बाल, उप–प्रधान, ग्रांम पंचायत डूहक, जिला कांगडा हि0प्र0।	उन्होंने खनन विभाग के अधिकारी से खनन क्षेत्र से पालम स्टोन कशर की दूरी बारे पूछा और बताया कि यहां से पामल स्टोन कशर की दूरी 14 कि0मी0 है और वहां से सारा प्रदूषित पानी आता है। इसके लिए सोशल मिडिया व अन्य माध्यमों से बताया गया लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। यहां पर केवल खच्चर वाले लोगों का ही चालान किया जाता है। परन्तु यहां पर टैक्टर व अन्य मशीनरी द्वारा खनन किया जाता है। यहां पर खनन करने से इस क्षेत्र को काफी नुकसान होगा। अतः यहां खनन नहीं होना चाहिए और खनन होने पर इसके विरोध के साथ–2 चुनावों का भी बहिष्कार किया जाएगा। यहां पर एक 18 बर्षीय नोजवान व्यक्ति की जान भी खनन के कारण हुए खडडे के कारण हो चुकी है। यहां पर 03 घराट थे वह खनन के कारण पानी की कमी से बंद हो चुके हैं। अतः यहां खनन से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस खनन क्षेत्र से 20 से 25 मीटर दूरी पर एक नर्सरी कागजात दर्ज है। उन्होंने अनुरोध किया कि यहां पर पौधारोपण का कार्य किया जाना चाहिए जिसमें सभी आपका सहयोग करेगें। अतः यहां खनन नहीं होना चाहिए। वर्तमान में यहां के संसाधन पूरी तरह से भरे है परन्तु खनन के कारण नबम्बर तक यह क्षेत्र पूरी तरह से सूख जाता है। यहां पर काफी गहराई तक खनन कर दिया गया है। आप इसके लिए मौके का निरीक्षण भी कर सकते हैं। इसमें श्री करण सिंह द्वारा खनन से अपनी भूमि बहने बारे जो भी मुददे बताए वह बिल्कुल सही हैं।	अध्यक्षा महोदया द्वारा उप–प्रधान महोदय से 07 दिनों के अन्दर श्री करण सिंह भूमि हेतू प्रस्ताव बनवाकर भेजने हेतू आग्रह किया ताकि उसे उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशालाा को प्रेषित कर इसमें फंड की व्यसस्था की जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य भूमि कटाव के मामलों को समयबद्ध तरीके से भेजने का अनुरोध किया ताकि उनका जल्द से जल्द राहत प्रदान की जा सके।
13	श्री दीप कुमार, गांव लाहट डुहक, डाकघर डुहक, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0प्र0	उन्होंने कहा कि यह खसरा न0 158/1 केवल इसी खनन पटटे के हैं। और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र से लेकर भ्रांता क्षेत्र तक सारा खनन कार्य व कशर बंद होने चाहिए।	परियोजना के प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020 में यह खनन पटटा मंजूर किया गया था और परियोजना मालिक द्वारा इसमें कोई भी खनन कार्य नहीं किया गया है। यहां पर हुए खडडे पहले से आंबटित खनन पटटा धारकों द्वारा किए गये हैं। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।
14	श्री रणवीर सिंह भूरिया, प्रधान ग्रांम पंचायत बैरघटा, जिला	उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया व उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं स्थानीय निवासियों को धन्यवाद किया और कहा	अध्यक्षा महोदया द्वारा बताया गया कि लाहट डूहक पंचायत में सभी लोग यही चाहते है कि यहां पर कशन नहीं होना चहिए और प्रधान जी

	कांगडा हि0प्र0।	कि यदि यहां खनन पटटा आंबटित नहीं होगे तो मैटिरियल पठानकोट से लाना पड़ेगा। हम यहां पर सभी खडड से निशुल्क मैटिरियल लाते हैं। यहां कशर मालिकों द्वारा पंचायत को कम मूल्यों पर मैटिरियल उपलब्ध करवाने हेतू अनुरोध किया जाता है परन्तु उनके द्वारा कोई भी सहयोग नहीं किया जाता है। अतः यहां स्थानीय लोगों को कम मूल्यों पर मैटिरियल मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त खनन हर तरफ होता है इसलिए एम फार्म मिलने चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को लाभ मिल सके।	द्वारा बताया गया कि यहां पर कुछ लोगों द्वारा एम फार्म द्वारा और कुछ बिना एम फार्म के खनन कर रहे हैं। उसके लिए नीति होनी चाहिए ताकि गरीब लोगों का शोषण न हो और अत्याधिक खनन न हो। क्योंकि इससे इनकी पंचायत में घरों को नुकसान हुआ है। अतः इन मुददों को नोट कर लिया गया है।
15	श्री संदीप राणा, गांव धनियारा, जिला कांगडा हि0प्र0।	उन्होंने कहा कि खसरा सं0 1558/1 के साथ सिंचाई की परियोजना है। यहां पीछे निशानदेही की गई है जिसमें चीला चमोत्रा, मौजा आलमपुर में मैदान में खडडे कर दिए गये हैं। इसके अतिरिक्त शमशानघाट का रोड भी बंद है। यहां पर बताया गया कि परियोजना लगने के बाद फायदे होते है परन्तु कोई फायदा नही हुआ है। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र खसरा सं0 1558 के साथ लगता है। उन्होंने कहा कि यहां पर एक पानी की योजना है। सरकार उसे बापस लेकर खनन पटटा दे सकती है ताकि जनता के पैसे की बर्वादी न हों और यहां खनन के कोई भी फायदे नहीं है यहां खनन के कारण शमशानघाट के लिए जाने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है।	अध्यक्षा महोदया द्वारा पूछा गया कि क्या चीला चमोत्रा क्षेत्र का इस परियोजना से सम्बन्ध है। अध्यक्षा महोदया द्वारा आश्वसत किया गया कि श्री संदीप सिंह द्वारा खसरा सं0 1558 के साथ लगते क्षेत्र में खनन के कारण पड़े खडडों की निशानदेही संयुक्त रुप से तहसीलदार थुरल व नायव तहसील आलमपुर कर इसकी रिपोर्ट प्रेषित करेगें। अध्यक्षा महोदया द्वारा बताया गया कि श्री संदीप के द्वारा दर्ज करवाया गया है कि वह खनन से होने वाले फायदों से संतुष्ट नहीं है।
16	श्री अमित सूद, सहायक अभियन्ता जल शक्ति डिविजन डरोह, अतिरिक्त कार्यभार जल शक्ति डिविजन थुरल, जिला कांगडा हि0प्र0।	उन्होने बताया कि सिंचाई की परियोजनाए बंद हो रही हैं। इसमें सुलह विधानसभा एवं जैसिंहपुर क्षेत्र में लगभग 25 पानी की योजनाएं चल रही है परन्तु कशर लगने के कारण प्रतिदिन पानी की गुणवता गिर रही है। और पानी का स्तर नीचे चला जाता है। इसके अतिरिक्त कशर मालिक अनुमानित एक मीटर से ज्यादा खनन करते है जिससे यह योजनाएं बंद होने की कगार पर है।	सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा सुझाव दिया गया कि किसी भी खनन पटटे के संयुक्त निरीक्षण के अध्यक्ष उपमण्डलाधिकारी (ना0) होते है और आपके विभाग के अधिशाषी अभियन्ता उसके सदस्य है। यदि आपको किसी खनन परियोजना से कोई नुकसान होने की आंशका होने पर प्रारम्भिक स्थिति में ही इसे इन्कार कर देना चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े।
17	श्री नरेन जम्बाल, धन्यारा, जिला कांगडा हि0प्र0।	उन्होंने बताया कि यहां पर पहले से ही 02 कशर है। बर्ष 2023 में डूहक–धनियारा की सिंचाई योजना थी परन्तु उसके साथ नाले में इस योजना की सारी पाईप बह गई थी और यह योजना बंद है उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग व जल शक्ति विभाग की परियोजनाओं की दूरी सही है परन्तु वह कागजों तक ही सीमित रह जाती है। कशर में 02 मीटर तक खुदाई का प्राबधान है परन्तु 15 मीटर तक खुदाई कर दी जाती है। इस नदी की गहराई 15 से 18 मीटर तक नीचे हो चुकी है। यहां पुल का निर्माण लगभग 71 बर्षों बाद हुआ है। उन्होंने कहा कि नियमों से कार्य होना चाहिए परन्तु यह सब कागजों तक ही सीमित रह जाता है और नियमों में कार्य हो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी।	————

इसके अतिरिक्त जन सुनवाई के दौरान लिखित में प्राप्त हुए सुझाव, विचार एवं शिकायतें प्रपत्र–।। पर संलगित है।

इसके उपरान्त अध्यक्षा महोदया ने उपस्थित सभी का धन्यावाद किया और कहा कि सभी द्वारा अपने सुझाव निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त किए और इस बारे जो भी सुझाव दिए गये है, जिसकी संपूर्ण कार्यवाही को लिखित व वीडियोग्राफी द्वारा भी रिकार्ड किया गया है। जिसे सरकार को भेजा जाएगा और इस पर आगामी निर्णय बन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारी गण एवं नजदीकी गांवों के प्रधान, उपप्रधान व स्थानीय निवासियों का जन सुनवाई में आने के लिए धन्यवाद किया।

अंत में ई0 वरुण गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हि0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा पर्यावरण जन सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का जन सुनवाई में भाग लेने व अपने विचार प्रकट करने हेतू आभार प्रकट किया और पर्यावरण जन–सुनवाई का समापन किया।

शिल्पी बेक्टा (हि0प्र0से0),
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
कांगडा स्थित धर्मशाला (हि.प्र.)

ANNEXURE - II

Proceedings of Environmental public hearing conducted on date: 25/07/2025 for the proposal submitted by Sh. Rohit Jamwal, s/o Sh. Om Parkash Jamwal, Vpo Banghiar, Tehsil Palampur, District Kangra H.P. and sh. Rahul Pathania s/o sh. Ranjeet Singh Village Thapkour, Po Bhadroya, Tehsil Nurpur Kangra H.P. for the extraction/collection of sand, stone and bajri from khasra no. 1558/1 (Govt. land , river bed) @ production capacity of 1,81,350 TPA, measuring area 15-03-30 hect. falling in Mauza & Mohal Dhanyara & Alampur, Tehsil Dheera, District Kangra H.P.

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. Rohit Jamwal, s/o Sh. Om Parkash Jamwal, Vpo Banghiar, Tehsil Palampur, District Kangra H.P. and sh. Rahul Pathania s/o sh. Ranjeet Singh Village Thapkour, Po Bhadroya, Tehsil Nurpur Kangra H.P. for the extraction/collection of sand, stone and bajri from khasra no. 1558/1 (Govt. land , river bed) @ production capacity of 1,81,350 TPA, measuring area 15-03-30 hect. falling in Mauza & Mohal Dhanyara & Alampur, Tehsil Dheera, District Kangra H.P. was conducted on date: 25/07/2025 at the mining site at Khasra no. 1558/1 (Govt. land , river bed) falling in Mauza & Mohal Dhanyara & Alampur, Tehsil Dheera, District Kangra H.P. by H. P. State Pollution Control Board, Regional Office Dharamshala as per notification No-SO-1533 dated 14.09.2006. This public hearing was organized by H.P. State Pollution Control Board under the Chairmanship of Ms. Shilpi Beakta, H.A.S., Addl. Distirct Magistrate, Kangra at Dharamshala according to prescribed process of public hearing. The attendance sheet of participants present in the public hearing is enclosed (**Annexure-I**).

The officers/officials from different departments and Pradhan/ Up-Pradhan and representatives of Panchayat, & local public of Panchayats were also present during the public hearing.

First of all, Er. Varun Gupta, Regional Officer, H. P. State Pollution Control Board, Regional Office Dharamshala welcomed the Chairperson, officers and officials of various Departments, representatives of all Panchayats, local public, project proponents and their consultants. He requested everyone to express their views, comments, suggestions and objections regarding the proposal submitted without any fear and pressure, and Chairperson was requested to permit to start the public hearing.

The Chairperson permitted to start the process of public hearing and the project proponent was requested to give the detailed description to the public about the project proposal. The detailed description regarding this proposed mining area was given by the consultant of the Project Proponent. The Chairperson also requested the people present in this Environmental Public Hearing to express their views, comments, suggestions and objections regarding this proposed Mining Lease without any fear and pressure from any corner.

Videography of the public hearing was carried out. Accordingly the proceedings of the Environmental Public Hearing were recorded and the same are reproduced here as under.

Sr. No.	Name & Address	Issues/Suggestions raised	Reply
1	Sh. Karan Singh S/o Late Sh. Aditya Dass, R/o Lahad Duhak, District Kangra H.P.	He said that there has been damage due to mining. All my land has been washed away due to floods in August 2023 and no action has been taken by the Revenue Department and no crate wall has been provided. He said that there will be damage due to mining.	The Chairperson asked Sh. Karan Singh about the status of his land.
		He told that his land is on the bank of Neugal Khad and due to the flood on 13th August 2023, the fencing and poles provided by him were washed away due to mining. At present, said land has become very deep. Hence, it will become even deeper after mining.	The Chairperson asked Sh. Karan Singh about any mining lease there.
		He said that due to the mining carried out there earlier, it had become deeper.	The Chairperson asked Sh. Karan Singh that if there is no government mining lease there, then is mining being done there by local people?
		He said that mining is not being carried out by local people. Apart from this, he said that due to mining here, all the material will come down, there are already 10 to 15 feet deep pits here. And these pits will be filled with the material coming from above. Therefore, due to mining, our land is getting washed away with water.	The Chairperson informed that Sh. Karan Singh, son of late Sh. Aditya Das, Resident of Lahad Duhak, District Kangra, Himachal Pradesh, has registered that his land is already flowing due to the floods that occurred since August 2023. Due to which they suffered huge losses and they also said that if mining is to be carried out here in the future, the losses will be even more. The project consultant informed

			that if the depth of mining is up to 02 meters, then the level of the river will go down due to mining, so the possibility of floods is less and the mining lease holder will also be asked to build 05 retaining walls by the environmental committee. There is no private land within the scope of this mining lease. Since this place is elevated, there is no possibility of water logging here.
2	Smt. Urmila Rana, R/o Dhaniayara, District Kangra H.P.	She said that she has ancestral property near the river and this mining area. There is a water scheme for 10 panchayats which is from this mining area. Our MLA has got the bridge constructed here with great difficulty. Due to mining here, our future generations will suffer a lot. Therefore, mining should not happen here. If mining will be carried out here, you will have to face resistance. She said that due to the use of JCB for mining, big pits have been formed here which can cause damage to life and property. About 10 JCBs are deployed here for mining. For this you can also ask the people here and the Pradhan.	The Chairperson informed that at the beginning of this public hearing, it was conveyed that the issues raised by you in this public hearing will be sent to the government and none of the officers present here are authorized to approve this proposed mining lease. Hence the issues raised by you, include: 1. Your private land is adjacent to this mining lease area. 2. One water scheme is currently in place in this mining area and one is proposed for the future. 3. A bridge is also being constructed along this mining area. All of these can be harmed due to mining. So your issues have been noted and will be forwarded to the government. The chairperson asked the mining department to clarify the status of JCB being used for mining here. The official from the Mining Department informed that JCB has been used for constructing the check-

			dam after due approval.
		The people present there expressed their objections against the reply given by the officer of the mining department. Further, the chairperson requested everyone to express their views one by one.	
3	Sh. Ramesh Singh, Retired Subedar, R/o Village Duhak, Distt. Kangra, HP	He said that the information given here for the JCB being used for the check-dam is completely false. Continuous excavation has been carried out here by the crusher owners, and challans were carried out here when work was carried out by mules. However no challan has been carried out for the use of JCBs. Continuous excavation by using JCBs has resulted approximately 15 feet deep pits. Therefore, the issues raised by Mrs. Urmila Rana are absolutely true. In future, the situation here could become similar to the disaster that occurred in Mandi. He requested that a copy of the proceedings of this public hearing also be made available.	The Chairperson directed the Mining Department on the spot that the Mining Officer, Kangra, will personally appear and provide information regarding the mining being carried out here. How much mining has been carried out, whether it complies with the mining regulations or not? If the mining has not been carried out according to the rules, then it must be determined who is responsible, and an FIR will be registered against them. In addition, the Mining Officer will also provide information about the stone crusher units operating in this area. Furthermore, the Chairperson directed the Mining Department to take action and issue challans against illegal mining in the region. A review of this action will be conducted with the Mining Department after 10 days. In addition, the Chairperson directed that a written copy of the proceedings of this public hearing be provided to the Gram Panchayat. The project consultant informed that initially this mining lease area was proposed for 22 hectares, but due to the construction of a bridge, it was reduced to 15 hectares for maintaining 300 meters distance from the bridge. Therefore, the

			bridge will not be affected by this mining project, and the mining lease has been granted in accordance with regulations, maintaining a distance of 200 meters from the water supply scheme.
4	Captain Kalyan Chand, Village Dhaniyara, Post Office Duhak, Tehsil Palampur, District Kangra, H.P.	First of all, he thanked the chairperson and the officers and employees of various departments and the local residents and said that I have 03 Kanal land along this river. First of all, the government should make provisions for its safety because at present a lot of mining is being carried out here which was never carried out before. And in future mining should not be carried out here.	For the issues raised by Sh. Kalyan Chand regarding soil erosion, the Chairperson requested the Up-Pradhan present on the spot to get a proposal to be prepared from the Soil Conservation Department and send it to the Deputy Commissioner's office before 7 August so that action could be taken on it. And a request was made to provide a copy of the proposal to Sh. Kalyan Chand as well. Apart from this, the issue of not allowing mining at this place will also be forwarded to the government.
5	Sh. Om Prakash Chandel, ACF, Forest Division Palampur, District Kangra, H.P.	He asked the project consultant that the coordinates given are not on the river bed but further ahead, so will this mining work be carried out on the river bed or above it. If the coordinates are on the bank, it should be ensured that it is not forest departments land. He requested to share the actual coordinates of the proposed Khasra number with all so that the status of the mining area can be known.	The project consultant informed that the coordinates shown are of the entire Khasra number and these coordinates are beyond the river bed level but belong to this Khasra. Mining activity will be carried out in the river bed and one-tenth of the width of the river bed will be kept out of it. Hence, there can be coordinates in forest areas but mining work will not be carried out there and mining work will be carried out only in the river bed. The project consultant stated that the information of the actual coordinates of the mining area would be provided.
6	Sh. Sanjay Kumar,	He informed that a bridge worth of	The Chairperson again informed

	Village and Post Office Duhak, District Kangra, H.P.	Rs. 35 Crore and a water scheme worth Rs. 14 Crore are being constructed here and in between this, mining lease of Khasra No. 1558/1 is being allotted. There is a crematorium. If mining activity is carried out here, the land will be eroded and the bridge, water scheme and the crematorium will also be damaged. A 22 year old young boy had lost his life due to mining. He said that manual mining is fine but pits up to 25 feet have been dug here by using JCB, so who is responsible for this? There are 02 crushers at a distance of 200 meters, which also change the flow of the river when mining is carried out.	about the issues raised by Sh. Sanjay Kumar that he has lodged that: 1. The proposed mining lease is causing damage to the bridge and Jal Shakti Department's scheme (which supplies water to about 10 panchayats). Therefore, according to them, this mining lease should not be approved because there are already 02 stone crusher units within the radius of 200 meters.
7	Mrs. Ranjana Devi, Panchayat Committee Member, Village Dhaniyara, District Kangra, Himachal Pradesh.	She stated that all the people present here believe that the ongoing mining activities are harmful for our village. They do not want a situation like the current one in Mandi district, where significant damage has occurred. Therefore, we are opposing to mining in this area.	The Chairperson informed about the issues raised by Smt. Ranjana Devi, Panchayat Samiti member that mining should not be carried out here and the government should also be informed.
8	Sh. Maninder Kapoor, Junior Engineer, Jal Shakti Department, Thural, District Kangra, HP.	He said that if 02 meters of mining is carried out then the river will change its course of water stream in rainy season and if the course of water stream changes then a new plan will have to be made. Water scheme worth Rs. 14 crore will supply water to about 17000 people. And if the course of water stream is changed then from where will the water be lifted for the scheme. He said that this is untrue and whenever it rains, the direction of the water will change completely. Apart from this, there is another water scheme by the name of Duhak-Dhaniara of Jal Shakti Department at a distance of 01 km from here. So,	The project consultant informed that if mining is carried out in a scientific manner then there is a possibility of less flooding. If mining is carried out then the water level will go down and water will flow in one direction only. The project consultant informed that the mining lease has been approved by the Government and No objection certificate has been taken from all the concerned departments including Jal Shakti

		there is a lot of problem due to mining, for which we have informed the mining department many times. He stated that they should have been informed about the mining lease in advance. However, they were called directly today without prior notice, and the boundaries of the proposed mining lease area have not been marked to indicate its location.	Department. The project consultant informed that polls have been installed on the mining lease and it has been marked during the inspection of the joint committee in the year 2020 and only after that this area is being given on lease. Further the Chairperson informed that there are two main issues raised by Sh. Maninder Kapoor, Junior Engineer, Jal Shakti Department, Thural: 1. Due to mining a water scheme worth around Rs. 14 Crore which supplies water to about 17000 people, which will be wasted. 2. Apart from this, mining is going on near Duhak-Dhaniyara Lift Water Supply Scheme for which the mining department and related departments were contacted several times in writing, but no action has been taken. The Chairperson requested to provide a copy of the correspondence so that further action could be initiated.
9	Sh. Sumit Rana, Resident of Dhaniyara, District Kangra, Himachal Pradesh.	He said that why so much mining is being carried out in this area, there are already 02 crushers and the village can be damaged due to mining. There is already drinking water problem. In addition, the silt water is also released into the river by the stone crusher units, due to which the water here is not usable and this water was earlier used for daily purposes. So why is so much mining being done in this area only? Mining	The Chairperson informed that the main issues raised by Sh. Sumit Rana are: 1. Why is this area being proposed for mining as there are already 02 crushers installed here. 2. Silt water is released into the river by the crushers already established here, which degrades the quality of the river water.

		can be done in Thural or Balkarupi. Therefore, mining should be completely stopped here so that no problems arises.	3. What steps are being taken for the development of this area. 4. Why are crushers not being installed in Thural or Balkarupi, why are they being installed only here.
10	Sh. Sunil Rana, Resident of Duhak Dhaniyara, District Kangra, Himachal Pradesh.	He said that after a lot of difficulties the bridge is being constructed here and there is a water scheme downstream. He thanked the Junior Engineer, Jal Shakti Vibhag, Thural for informing about the problems being faced in the water schemes and said that the people here are facing a lot of drinking water problems. Due to the silt being released into the water here, the machines used in the water schemes have been damaged and have been shut down. Apart from this, a young boy has also died in a pit dug by mining here. Hence, we oppose this mining project.	---
11	Sh. Rajesh Chopra, Assistant Engineer, Public Works Department Thural	He said that Khasra number of the proposed mining lease has been demarcated in front of him and 300 meters of area has been left out here. Hence, mining should not be carried out 200 meters upstream and 300 meters downstream from the bridge.	The Chairperson informed that the issues raised by Assistant Engineer, Public Works Department, Thural are: There should not be any mining activity within 200 meters upstream and 300 meters downstream from the bridge.
12	Sh. Nirdosh Jamwal, Up-Pradhan, Gram Panchayat Duhak, Distt. Kangra, HP	He asked the official of Mining Department about the distance of Palam Stone Crusher from the mining lease area and also informed that the distance of Palam Stone Crusher from here is 14 km and all the polluted water comes from there. This was reported through social media and other means but no action has been taken. However people having mules are fined. But mining is carried out by tractors and other machinery. Mining here will cause a lot of damage to this area. Therefore, mining should not be carried out here	The Chairperson requested the Up-Pradhan to prepare a proposal for Sh. Karan Singh's land within 7 days so that it could be sent to the Deputy Commissioner, Kangra at Dharamshala and funds could be arranged for it. Apart from this, she requested to send other land erosion cases in a timely manner so that relief can be provided to them as soon as possible.

		and if mining is carried out, then we all will be protesting against it, elections will also be boycotted. A 18-year-old young boy has lost his life due to the pit created by mining. There were 03 gharaats which have been closed due to lack of water because of mining. Therefore, people have to face a lot of problems due to mining. There is a nursery registered at a distance of 20 to 25 meters from this mining area. He requested that plantation work should be done here in which everyone will support you. Therefore, mining should not be carried out here. At present the water resources here are sufficient but due to mining this area dries up completely by November. Mining has been carried out to a great depth. You can also inspect the spot for this. In this, all the points raised by Sh. Karan Singh regarding his land being washed away due to mining are absolutely correct.	
13	Sh. Deep Kumar, Village Lahat Duhak, Post Office Duhak, Tehsil Thural, District Kangra, H.P.	He said that the Khasra number 1558/1 belongs to this mining lease only and we want that all mining activities and crushers should be stopped from this area to Bharanta area.	The project consultant informed that this mining lease was approved in the year 2020 and no mining activity has been carried out by the project proprietor. The pits created here have been made by the previously allotted mining lease holders. Hence, action should be taken against them.
14	Sh. Ranveer Singh Bhuria, Pradhanf Gram Panchayat Bairghata, District Kangra, Himachal Pradesh.	First of all he thanked the Chairperson, officers and employees of various departments present there and the local residents and said that if the mining lease is not allotted here, the material will have to be brought from Pathankot. We bring material from all the quarries free of cost. Nearby Panchayats request the crusher owners to provide material at	The Chairperson told that all the people of Lahat Duhak Panchayat want that there should be no crushing here and the Pradhan told that some people are doing mining with Form-M and some without Form-M. There should be a policy for that so that poor people are not exploited and

		low prices, but they do not co-operate. Therefore, local people should get material at low prices. Apart from this, mining takes place everywhere, so Form-M should be available so that local people can get benefits.	excessive mining is not carried out. Because this has caused damage to the houses in their panchayat. So these issues have been noted.
15	Mr. Sandeep Rana, Village Dhaniyara, District Kangra, Himachal Pradesh.	He said that there is an irrigation project along Khasra number 1558/1. Here markings have been made in the background in which ditches have been dug in the field in Cheela Chamotra, Mauja Alampur. Apart from this, the road to the crematorium is also closed. It was told that there are benefits after the project is implemented but there has been no benefit. He told that this area is adjacent to Khasra No. 1558. He said that there is a water supply scheme, if the government will allote the mining activities here the water supply scheme should be withdrawal first to avoid any wastage of public money. He said there is no benefit of mining here. Due to mining activities, the road leading to the cremation ground has also been closed.	The Chairperson asked whether the Cheela Chamotra area is related to this project. The Chairperson assured that the Tehsildar Thural and Naib Tehsildar Alampur will jointly carry out the demarcation in reference to the question raised by Sh. Sandeep Singh and will submit a report regarding the same to the Chairperson. The Chairperson clarifies and directed to record the statement that Mr. Sandeep is not satisfied with the benefits from mining activities here.
16	Sh. Amit Sood, Assistant Engineer, Jal Shakti Vibhag, Division Deroh, Additional Charge, Jal Shakti Division, Thural, District Kangra, H.P.	He told that irrigation projects are being closed. About 25 water supply schemes are running in Sulah Vidhan sabha and Jaisinghpur area but due to the stone crusher units, the quality of water is deteriorating day by day. And the water level goes down. Apart from this, crusher owners mine more than the estimated one meter due to	Assistant Environmental Engineer, State Pollution Control Board advised that the Sub-Divisional Magistrate (Civil) is the Chairman of the joint inspection of any mining lease and the Executive Engineer of your Department is its member. If you fear that any

		which these schemes are on the verge of closure.	mining project may cause any harm, you should refuse it at the initial stage itself so that you do not have to face any problems in the future.
17	Sh. Naren Jambal, Dhanyara, District Kangra, H.P.	He told that there are already 02 stone crusher units here. There was an irrigation scheme of Duhak-Dhaniara in the year 2023, but all the pipes of this scheme were washed away in the drain and this scheme is closed. He told that the distance of the projects of Public Works Department and Jal Shakti Vibhag is correct. But it remains confined to papers only. There is provision for digging up to 02 meters in the crusher but digging is done up to 15 meters. The depth of this river has gone down 15 to 18 meters. The bridge here has been constructed after about 71 years. He said that work should be done as per rules but all this remains confined to papers only and who will be responsible for ensuring that work is done as per rules.	----------

In addition, written issues/suggestions were received during the public hearing are enclosed herewith as Annexure-I for kind reference.

After this, the Chairperson thanked all those who were present during the public hearing and said that the suggestions were given by the public without any fear and pressure. This all has been recorded in written and videography has also been done. This will be sent to Govt. of Himachal Pradesh and further decision shall be taken by the Government. At last, the Chairman thanked all the Officers, Officials of various Departments and Pradhan, Up-Pradhan of villages and local residents.

At the end, Er. Varun Gupta, Regional Officer, H. P. State Pollution Control Board thanked all the officers of different Departments and the public for attending the Public Hearing and concluded the public hearing.

Shilpi Beakta, H.A.S.,
Additional District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.